

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ./तक./उवसं/2021-22/ 4474
निमित्त,

दिनांक :- 08-08-2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
RDSA MINING LLP,
पाटनी सदन, तेली मोहल्ला,
मदनगंज-किशनगढ़
जिला-अजमेर (राज.) 305801

विषय :- Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunt, District - Pratapgarh, Rajasthan . (Proposal no. FP/RJ/MIN/142599/2021).

संदर्भ :-अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 6318 दिनांक 13.06.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8-04/2023 एफ.सी. दिनांक 07.06.2023 से विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 4131-36 दिनांक 21.07.2023 से मांगपत्र के माध्यम से विभिन्न मदों में राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 7059-62 दिनांक 04.08.2023 से इस कार्यालय से जारी मांगपत्र के परीक्षण उपरान्त राशि जमा कराने के संबंध में पुनः निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः आप भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र 8-04/2023 एफ.सी. दिनांक 07.06.2023 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई संख्या-2 VI(B), VIII, ix (D) की आवश्यक धनराशि (तालिकानुसार) कैम्पा फण्ड में भारत सरकार की शर्त संख्या xi के अनुरूप ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर इस कार्यालय में जमा प्रति प्रस्तुत करें।

क्र.सं.		भारत सरकार की शर्त संख्या			मांग राशि (रूपये में)	
1	शर्त संख्या -2 VI(b) Compensatory Afforestation(C.A.) NFL- 75.00 ha.				15365270/-	
2	शर्त संख्या -2 VI(b) Compensatory Afforestation(C.A.) DFL- 85.00 ha.				14954518/-	
3	शर्त संख्या -2, VIII Net present value (NPV), 74.2490 ha. X 957780/-per ha.				71114507/-	
4	शर्त संख्या -2, ix (c) Safety Zone Regeneration 3.237 ha.x 75000/- per ha.				242775/-	
5	शर्त संख्या -2, ix (d) Safety Zone 1.5 times Afforestation (C.A.) DFL - 4.8555 say 5.00 ha. @165000/- per ha.				825000/-	
6	शर्त संख्या -2, v 6 feet boundary wall Non Forest Land (habitation and agriculture fields)				9296250 /-	
Name of patch		Total perimeter	Proposed 6 feet boundary wall (Rmt.)	Rate/Rmt		Amount
Amlikhora 16 ha.		3748	700 Rmt.	@ 3350/Rmt		2345000/-
Miyala 13.5 ha.		1652	400 Rmt.	@ 3350/Rmt		1340000/-
Pahada 45.5 ha.		6736	1675 Rmt.	@ 3350/Rmt		5611250/-

Signature valid

Digitally signed by Hari Krishan Saraswat
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.08.08 19:01:32 IST
Reason: Approved

Takniki New 1

RajKaj Ref No. : 4484572

साथ ही भारत सरकार की शर्त संख्या 2 V,VI(b), के अनुरूप आवश्यक धनराशि निम्न (तालिकानुसार) उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ के नाम से डिमांड ड्रॉपट (डी.डी.) बनाकर प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	भारत सरकार की शर्त संख्या	मांग राशि (रूपये में)
1	शर्त संख्या -2 VI(B) Compensatory Afforestation(C.A.) NFL की- 75.00 ha. भूमि के सीमांकन हेतु 4 फिट उचाई के 182 पिल्लर निर्माण हेतु आवश्यक धन राशि	2002000.00/-

इसके अतिरिक्त आप भारत सरकार की शर्त संख्या 2 ix (a) Safety Zone Management के तहत 7.50 मीटर में Safety Zone का निर्माण लीज के कुल क्षेत्रफल में करेंगे। Safety Zone में लीज की सीमा विवरण अनुसार 6 फिट उचाई के आर.सी.सी के पिल्लर्स के साथ कांटेदार तारों की फेंसिंग का निर्माण आप के व्यय पर किया जावेगा। सीमा का निर्धारण खनिज अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सुपर विजन में सीमांकन रिपोर्ट के अनुरूप किया जावेगा। तथा भारत सरकार की शर्त 2-ii, iii की पालना में माही नदी की ओर Embankment का निर्माण एवं Embankment के सहारे 50 मी. की चौड़ाई में हरित पट्टी का विकास भी आपके स्तर पर किया जावेगा। उपरोक्तानुसार कार्य करने के संबंध में पृथक से 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र 8-04/2023 एफ.सी. दिनांक 07.06.2023 द्वारा जारी सेद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई समस्त शर्तों की स्पष्ट पालना रिपोर्ट 500 रुपये के स्टाम्प पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। तथा समस्त अण्डरटेकिंग प्रमाण पत्र पर खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत करेंगे।

(हरि किशन सारस्वत भावसे)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

दिनांक :- 08-08-2023

क्रमांक:-एफ./तक./उवसं/2021-22/

4475-4479

4479

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1.अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
- 2.मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
- 3.अति. निदेशक(खान) सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर।
- 4.खनिज अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ़।
- 5.क्षेत्रीय वन अधिकारी पीपलखुंट को दि जाकर लेख है कि सक्षम अनुमति मिलने से पूर्व उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न करने दें।

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

Signature valid

Digitally signed by Hari Kishan Saraswat
Designation : Deputy Conservator Of
Forest Page 475
Date: 2023.08.08 19:01:32 IST
Reason: Approved

Takniki New 1

RajKaj Ref No. : 4484572